

Haryana Government Gazette EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 128–2022/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, JULY 18, 2022 (ASADHA 27, 1944 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 18 जुलाई, 2022

संख्या 38/जीएसटी—2.— हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 9 की उप—धारा (1), उप—धारा (3) और उप—धारा (4), धारा 11 की उप—धारा (1), धारा 15 की उप—धारा (5), धारा 16 की उप—धारा (1) और धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 46/एसटी—2, दिनांक 30 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 46 / एसटी–2, दिनांक 30 जून, 2017 में,–

- (क) सारणी में,-
 - (i) क्रम संख्या 3 के सामने, खाना (3) के नीचे,-
 - (क) मद (iii), (iv), (v), (va), (vi) और (ix) और खाना (4) और (5) के नीचे उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
 - (ख) मद (vii) और (X) के सामने, खाना (4) के नीचे, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, "6" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी:
 - (ग) मद (XII) में, कोष्ठक और अंक "(iii), (iv), (v), (va), (vi), (vii), (viii), (ix)" के स्थान पर, कोष्ठक और अंक "(vii), (viii)," को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
 - (ii) क्रम संख्या ७ के सामने, मद (i) में, "एक हजार रुपए से अधिक किन्त्" शब्दों का लोप किया जाएगा;
 - (iii) क्रम संख्या 8 के सामने, खाना (3) में,-
 - (क) मद (vi) और उससे संबंधित खाना (4), (5) के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

(3)	(4)	(5)
"(via) रोपवे के द्वारा यात्रियों का परिवहन, चाहे वे अपने सामान के साथ हों या नहीं।	2.5	बशर्ते कि ऐसी सेवा की आपूर्ति में प्रयुक्त वस्तुओं पर भारित इनपुट टैक्स की क्रेडिट न ली गई हो। [कृपया देखें: व्याख्या संख्या (iv)]";

(ख) मद (vii) और उससे संबंधित खाना (4) और (5) के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

(3)	(4)	(5)
"(vii) उपर्युक्त (i), (ii), (iii), (iv), (ivक), (v), (vi) और (viक) से भिन्न यात्री परिवहन सेवाएं।	9	-";

- (iv) क्रम संख्या 9 के सामने, खाना (3) में,-
 - (क) मद (iii) और उससे संबंधित खाना (4) और (5) के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

(3)	(4)	(5)
"(iii) जीटीए द्वारा आपूर्ति किए गए माल (जिसमें व्यीक्तिगत प्रयोग में आने वाले इस्तेमाल किए गए घरेलू सामान भी शामिल हैं) के परिवहन से संबंधित माल परिवहन एजेंसी की सेवाएं, जहां—		
(क) जीटीए अपने द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर जीएसटी के भुगतान करने के विकल्प का प्रयोग नहीं करता है;	2.5	बशर्तें कि ऐसी सेवा की आपूर्ति में प्रयुक्त वस्तुओं पर प्रभारित इनपुट टैक्स की क्रेडिट न ली गई हो। [कृपया देखें: व्याख्या संख्या (iv)]
(ख) जीटीए अपने द्वारा आपूर्ति	2.5	1. ऐसी आपूर्तियों के संबंध में जिसमें
की जाने वाली सेवाओं पर	या	की जीटीए 2.5% की दर से कर का
जीएसटी के स्वयं भुगतान करने का विकल्प का प्रयोग करता हो।	6	भुगतान करता हो तो ऐसी आपूर्तियों पर जीटीए सेवा की आपूर्ति में प्रयोग माल और सेवाओं पर भारित इनपुट टैक्स की क्रेडिट नहीं लेगा। [कृपया देखें: व्याख्या संख्या (iv)] 2. किसी वित्तीय वर्ष के दौरान अपने द्वारा आपूर्ति की गई सेवाओं पर जीएसटी का स्वयं भुगतान करने का जीटीए के द्वारा लिए जाने वाले विकल्प का प्रयोग, उक्त वित्तीय वर्ष के तत्काल पहले 15 मार्च तक अनुबंध V में घोषणा करके किया जाएगा: परंतु वित्तीय वर्ष 2022—2023 के लिए इस विकल्प का प्रयोग 16 अगस्त, 2022 को या उसके पहले करना होगा। परंतु यह और कि खण्ड (ख) पर लागू दर पर राज्य कर वाली सेवा की आपूर्ति के लिए बीजक को वित्तीय वर्ष, 2022—2023 के लिए विकल्प देने के पहले—पहले 18 जुलाई, 2022 से 16 अगस्त, 2022 की अवधि के दौरान जारी किया जा सकता है लेकिन ऐसे मामले में आपूर्तिकर्ता अपनी आपूर्ति पर जीएसटी के भुगतान के विकल्प का प्रयोग 16 अगस्त, 2022 को या उससे पहले ही करेगा।";

(ख) खाना (3), (4) और (5) के नीचे, मद (vi) और उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित मद और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

(3)	(4)	(5)
"(via) रोपवे द्वारा माल का परिवहन।	2.5	बशर्तें कि ऐसी सेवा की आपूर्ति में प्रयुक्त वस्तुओं पर प्रभारित इनपुट टैक्स की क्रेडिट न ली गई हो। [कृपया देखें: व्याख्या संख्या (iv)]";

(ग) मद (vii) और खाना (3), (4) और (5) के नीचे, मद (vii) और उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद और उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

(3)	(4)	(5)
"(vii) उपरोक्त (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi) और (via) से भिन्न माल परिवहन सेवाएं।	9	-";

- (v) क्रम संख्या 10 के सामने, खाना (3) में,-
 - (क) खाना (3), (4) और (5) के नीचे, मद (i) और उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित मद और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

(3)	(4)	(5)
"(ia) माल परिवहन का किराया पर देने की सेवाएं जहां सेवा प्राप्तकर्ता से लिए गए प्रतिफल में ईंधन की लागत शामिल है।	6	-";

- (ख) मद (iii) में, "(i)" कोष्ठक और अंक के पश्चात्, ",(ia)" कोष्ठक और अंक को रखा जाएगा;
- (vi) क्रम संख्या 11 के सामने, खाना (3), (4) तथा (5) के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात:—

(3)	(4)	(5)
"परिवहन में समर्थनकारी सेवाएं।	9	-";
स्पष्टीकरणः इस प्रविष्टि में वे माल परिवहन सेवा नहीं आती है		
जिनमें माल परिवहन एजेंसी (जीटीए) सेवा, जो शीर्षक 9965 के		
अंतर्गत आती है, शामिल होती है।		

- (Vii) क्रम संख्या 15 के सामने,
 - (क) खाना (3), (4) तथा (5) के नीचे, मद (i) और उसके सामने विद्यमान प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
 - (ख) खाना (3) के नीचे, मद (vii) में, "(i)," कोष्ठक तथा चिह्न को लोप किया जाएगा;
- (Viii) क्रम संख्या 26 के सामने, खाना (3), (4) तथा (5) के नीचे में, मद (i) में, उप–मद (ड.), (ड.क) और (ज) का लोप किया जाएगा;
- (ix) क्रम संख्या 31 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"31A	(2) शीर्ष 9993	(3) किसी नैदानिक स्थापन द्वारा कमरे [इंटेंसिव केयर यूनिट (आईसीयू)/क्रिटिकल केयर यूनिट (सीसीयू)/इंटेंसिव कार्डियक केयर यूनिट (आईसीसीयू)/नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट (एनआईसीयू) से भिन्न] के रूप में प्रदान की जाने वाली सेवाएं, जिसका शुल्क रु. 5000/— प्रति दिवस से अधिक हो, ऐसे व्यक्ति को जिसे स्वास्थ्य देख रेख		ऐसी सेवा की आपूर्ति में प्रयुक्त वस्तुओं और सेवाओ पर भारित इनपुट टैक्स की क्रेडिट न ली गई हो। [कृपया देखें: स्पष्टीरकरण संख्या
		हो, एस व्यक्ति की जिस स्वास्थ्य देख रख सेवाएं दी जा रही हो।		(iv)]";

- (x) क्रम संख्या 32 के सामने,-
 - (क) खाना (3), (4) तथा (5) के नीचे मद (i) और उसके सामने विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित मद और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

(3)	(4)	(5)
"(ia) किसी नैदानिक स्थापन को सामान्य जैव–चिकित्सा अपशिष्ट		_''';
उपचार प्रसुविधा के प्रचालको द्वारा, जैव-चिकित्सिय अपशिष्ट के		
उपचार या व्ययन के माध्यम से या उससे आनुषंगिक प्रक्रियाओं के		
माध्यम से उपलब्ध कराई गयी सेवाएं		

- (ख) खाना (3) में, मद (ii) में, "(i)" कोष्ठक और अंक के पश्चात् "और (ia)" कोष्ठक और अंक रखा जाएगा। (ख) व्याख्या से संबंधित पैराग्राफ 4 में, खण्ड (xxxvi) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड रखे जाएंगे, अर्थात्:—
 - "(xxxvii) 'प्रिंट मीडिया' से अभिप्राय है, -
 - (i) प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 (1867 का केन्द्रीय अधिनियम 25) की धारा 1 की उप–धारा (1) में यथापरिभाषित 'पुस्तक', किन्तु इसके अंतर्गत कारबार निदेशिकाएँ, पीत पृष्ठ और व्यापार कैटलॉग, जो मुख्यतः वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए आशयित हैं, शामिल नहीं हैं;
 - (ii) प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 (1867 का केन्द्रीय अधिनियम 25) की धारा 1 की उप–धारा (1) में यथा परिभाषित 'समाचार पत्र';
 - (xxxviii) 'नैदानिक प्रतिस्थापन' से अभिप्राय है, कोई अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, सेनेटोरियम या कोई अन्य संस्था, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो निदान या उपचार या रुग्णता, चोट, विरूपण, अप्रसमान्यता या गर्भावस्था के लिए अपेक्षित सेवाओं या सुविधाओं का भारत में मान्यसता प्राप्त चिकित्सा पद्धित में प्रस्ताव करता है या स्वतंत्र निकाय के रूप में स्थापित किसी स्थान पर या बीमारियों के निदान या जाँच के लिए सेवा प्रदान करने वाले किसी स्थापन के एक भाग के रूप में सेवा प्रदान करता है;";
 - (xxxix) "स्वास्थ्य देख रेख सेवाएं" से अभिप्राय है, निदान या उपचार या रुग्णता की देखरेख, चोट, विरूपता, अप्रसामान्यताया गर्भावस्था के निदान या उपचार के लिए भारत में मान्यता प्राप्त चिकित्सा, पद्धित और इसके अंतर्गत किसी नैदानिक स्थापना को और उससे रोगियों के परिवहन के माध्यम से सेवाएं सिम्मिलत हैं किन्तु इसके अंतर्गत केश प्रत्यारोपण या कॉस्मेटिक या प्लास्टिक शल्य क्रिया सिवाय तब जब अनुवंशिक त्रुटियों, विकासात्मक अप्रसामान्यताओं, चोटया संघात के कारण प्रभावित शरीर के अंगो या शरीर के कृत्यों को बहाल करने या पूनः निर्माण के लिए की जाती है, सिम्मिलत नहीं है;
 - (xl) "माल परिवहन अभिकरण से अभिप्राय है, ऐसा कोई व्यक्ति, जो सड़क द्वारा माल के परिवहन के संबंध में सेवा प्रदान करता है तथा पारेषण नोट जारी करता है, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो;
- (ग) अनुबंध IV के पश्चात, निम्नलिखित अनुबंध रखा जाएगा, अर्थात्:-

"अनुबंध V

फार्म

किसी वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने से पहले अपने द्वारा उपलब्धा कराई गई सेवाओं पर जीएसटी का भुगतान करने के लिए किसी माल परिवहन एजेंसी (जीटीए) के द्वारा विकल्प का प्रयोग करने हेतु फार्म, जिसे अधिकार क्षेत्र वाले जीएसटी प्राधिकारी के सामने प्रस्तुत किया जाना है।

संदर्भ संख्याः-

दिनांकः –

- 1. मैंने/हमने का अधिकृत प्रतिनिधि, जीएसटी पंजीकरण करा लिया है/पंजीकरण के लिए आवेदन कर दिया है और मैं/हम, एतद द्वारा, एचजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 9 (1) के अनुसार फारवर्ड चार्ज के अंतर्गत वित्तीय वर्ष के दौरान अपने द्वारा आपूर्त किए गए माल के परिवहन के संबंध में जीटीएटी सेवा पर जीएसटी के भुगतान करने का और एचजीएसटी अधिनियम, 2017 के सभी प्रावधानों का, जैसा कि वे किसी माल या सेवा या दोनों की आपूर्ति से संबंधित कर के भुगतान के लिए दायी किसी व्यक्ति पर लागू होते हों, का अनुपालन करने का वचन देता हूँ/देती हूँ/देते हैं;
- मैं इस बात को समझता हूं कि एक बार इस विकल्प का प्रयोग कर लिए जाने पर इस विकल्प के प्रयोग की तिथि से एक वर्ष की अविध के भीतर इसको बदलने की अनुमित नहीं होगी और यह जिस वित्तीय वर्ष के लिए प्रयोग किया जाएगा उसके अंत तक वैध रहेगा।

विधिक नाम:-

जीएसटीआईएन:-

पैन नं..

प्राधिकृत प्रतिनिधि का हस्ताक्षरः

प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नामः

जीटीए का पूरा पताः

(अधिकार क्षेत्र वाले जीटीए प्राधिकारी का दिनांक सहित स्वीकृति पत्र)

नोटः किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए उपरोक्त विकल्प का प्रयोग करने की अंतिम तिथि पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की 15 मार्च है। वित्तीय वर्ष 2022—2023 के विकल्प का प्रयोग 15 अगस्त, 2022 तक किया जा सकता है।"।

2. यह अधिसूचना 18 जुलाई, 2022 से लागू होगी।

अनुराग रस्तोगी, अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 18th July, 2022

No. 38/GST-2.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1), sub-section (3) and sub-section (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15, sub-section (1) of section 16 and section 148 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No.46/ST-2, dated the 30th June, 2017, namely:-

AMENDMENT

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 46/ST-2, dated the 30th June, 2017, in the Table, -

In the said notification, -

- (A) in the Table, -
 - (I) against serial number 3, under column (3), -
 - (a) items (iii), (iv), (v), (va), (vi) and (ix) and the corresponding entries relating thereto under columns (4) and (5) shall be omitted;
 - (b) against items (vii) and (x), for the existing entry under column (4), the following entry "6" shall be substituted:
 - (c) in item (xii), for the brackets and figures "(iii), (iv), (v), (va), (vi), (vii), (viii), (ix)", the brackets and figures "(vii), (viii)," shall be substituted;
 - (II) against serial number 7, under column (3), in item (i), the words "above one thousand rupees but" shall be omitted;
 - (III) against serial number 8, under column (3), -
 - (a) after item (vi) and the corresponding entries relating thereto under columns (4) and (5), the following shall be inserted, namely: -

(3)	(4)	(5)
"(via) Transport of passengers,	2.5	The credit of input tax
with or without accompanied		charged on goods used in
belongings, by ropeways.		supplying the service has
		not been taken.
		[Please refer to Explanation
		no. (iv)]";

(b) for item (vii) and the corresponding entries relating thereto under columns (4) and (5), the following entries shall be substituted, namely:-

(3)	(4)	(5)
"(vii) Passenger transport services other than (i), (ii), (iii), (iv), (iva), (v), (vi) and (via) above.		-";

- (IV) against serial number 9, under column (3), -
 - (a) for item (iii) and the corresponding entries relating thereto under columns (4) and (5), the following entries shall be substituted, namely:-

(3)	(4)	(5)
"(iii) Services of Goods Transport Agency (GTA) in relation to transportation of goods (including used house hold goods for personal use) supplied by a GTA where,-		
(a) GTA does not exercise the option to itself pay GST on the services supplied by it;	2.5	The credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken. [Please refer to <i>Explanation</i> no. (iv)]
(b) GTA exercises the option to	2.5	(1)In respect of supplies on which
itself pay GST on services supplied by it.		GTA pays tax at the rate of 2.5%, GTA shall not take credit of input
supplied by it.	or	tax charged on goods and services
	6	used in supplying the service. [Please refer to Explanation no. (iv)] (2) The option by GTA to itself pay GST on the services supplied by it during a Financial Year shall be exercised by making a declaration in Annexure V on or before the 15th March of the proceeding Financial Year: Provided that the option for the Financial Year 2022-2023 shall be exercised on or before the 16th August, 2022: Provided further that invoice for supply of the service charging State tax at the rates as applicable to clause (b) may be issued during the period from the 18th July, 2022 to 16th August, 2022 before exercising the option for the financial year 2022-2023 but in such a case the supplier shall exercise the option to pay GST on its supplies on or before the 16th August, 2022.";

(b) after item (vi) and the corresponding entries relating thereto under columns (4) and (5), the following entries shall be inserted, namely: -

(3)	(4)	(5)
"(via) Transport of goods by ropeways.	2.5	The credit of input tax charged on goods used in supplying the service has not been taken. [Please refer to <i>Explanation</i> no. (iv)]";

(c) for item (vii) and the corresponding entries relating thereto under columns (4) and (5), the following entries shall be substituted, namely:-

(3)	(4)	(5)
"(vii) Goods transport services other than (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi) and (via) above.		-";

- (V) against serial number 10, under column (3), -
 - (a) after item (i) and the corresponding entries relating thereto under columns (4) and (5), the following entries shall be inserted, namely: -

(3)	(4)	(5)
"(ia) Renting of goods carriage where the cost of fuel is included in the consideration charged from the service recipient.	6	-";

- (b) in item (iii), after the brackets and figure "(i)", the brackets and figures ", (ia)" shall be inserted;
- (VI) against serial number 11, under column (3), for items (i) and (ii) and the corresponding entries relating thereto under columns (4) and (5), the following entries shall be substituted, namely:-

(3)	(4)	(5)
"Supporting services in transport.	9	-";
Explanation: This entry does not include goods transport service involving		
Goods Transport Agency (GTA) service, which falls under Heading 9965.		

- (VII) against serial number 15, under column (3), -
 - (a) item (i)and the corresponding entries relating thereto under columns (4) and (5) shall be omitted;
 - (b) in item (vii), the brackets and figures "(i)," shall be omitted;
- (VIII) against serial number 26, under column (3), in item (i), sub-items (e), (ea) and (h) shall be omitted;
- (IX) after serial number 31 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(2)	(3)	(4)	(5)
Heading	Services provided by a clinical	2.5	The credit of input
9993	, , ,		tax charged on goods and
	(ICU)/Critical Care Unit(CCU)/Intensive		services used in
	Cardiac Care Unit (ICCU)/Neo natal		supplying the
	` /1		service has not been
			taken
	1		[Please refer to
	SCIVICES.		Explanation no. (iv)]";
	()	Heading 9993 Services provided by a clinical establishment by way of providing room [other than Intensive Care Unit (ICU)/Critical Care Unit(CCU)/Intensive	Heading 9993 Services provided by a clinical establishmentby way of providing room [other than Intensive Care Unit (ICU)/Critical Care Unit(CCU)/Intensive Cardiac Care Unit (ICCU)/Neo natal Intensive Care Unit (NICU)] having room charges exceeding Rs. 5000per day to a person receiving health care

- (X) against serial number 32, under column (3), -
 - (a) after item (i) and the corresponding entries relating thereto under columns (4) and (5), the following entries shall be inserted, namely: -

(3)	(4)	(5)
"(ia)Services by way of treatment or disposal of biomedical waste or the processes incidental thereto by a common bio-medical waste treatment facility to a clinical establishment.		-";

- (b) in item (ii), after the brackets and figures "(i)", the word, brackets and figure "and (ia)" shall be inserted;
- (B) in paragraph 4, relating to Explanation, after clause (xxxvi), the following clauses shall be inserted, namely: -

"(xxxvii) 'print media' means, —

- (i) 'book' as defined in sub-section (1) of section 1 of the Press and Registration of Books Act, 1867 (25 of 1867), but does not include business directories, yellow pages and trade catalogues which are primarily meant for commercial purposes;
- (ii) 'newspaper' as defined in sub-section (1) of section 1 of the Press and Registration of Books Act, 1867 (25 of 1867);

(xxxviii) 'clinical establishment' means, -

a hospital, nursing home, clinic, sanatorium or any other institution by, whatever name called, that offers services or facilities requiring diagnosis or treatment or care for illness, injury, deformity, abnormality or pregnancy in any recognised system of medicines in India, or a place established as an independent entity or a part of an establishment to carry out diagnostic or investigative services of diseases;

(xxxix) 'health care services' means, -

any service by way of diagnosis or treatment or care for illness, injury, deformity, abnormality or pregnancy in any recognised system of medicines in India and includes services by way of transportation of the patient to and from a clinical establishment, but does not include hair transplant or cosmetic or plastic surgery, except when undertaken to restore or to reconstruct anatomy or functions of body affected due to congenital defects, developmental abnormalities, injury or trauma;

- (xl) 'goods transport agency' means,
 - any person who provides service in relation to transport of goods by road and issues consignment note, by whatever name called.";
- (C) After Annexure IV, following annexure shall be added, namely: -

"Annexure V

FORM

Form for exercising the option by a Goods Transport Agency (GTA) for payment of GST on the GTA services supplied by him under forward charge before the commencement of any financial year to be submitted before the jurisdictional GST Authority.

Reference No.-

Date: -

- 2. I understand that this option once exercised shall not be allowed to be changed within a period of one year from the date of exercising the option and will remain valid till the end of the financial year for which it is exercised.

Legal	Name:	-
-------	-------	---

GSTIN: -

PAN No.

Signature of Authorised representative:

Name of Authorised Signatory:

Full Address of GTA:

(Dated acknowledgment of jurisdictional GST Authority)

Note: The last date for exercising the above option for any financial year is the 15th March of the preceding financial year. The option for the financial year 2022-2023 can be exercised by 16th August, 2022.".

2. This notification shall come into force with effect from the 18th July, 2022.

ANURAG RASTOGI, Additional Chief Secretary to Government Haryana, Excise and Taxation Department.

9747—C.S.—H.G.P. Pkl.